कार्यालय जिला पंचायत, कानपुर देहात

ई–निविदा सूचना

पत्रांक– 608 /जि0पं0/e-tender/2018–19 दिनांक–20/11/18

1. निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के अन्तर्गत वैवाहिक सामग्री की आपूर्ति के लिये निर्धारण हेतु ऑनलाईन अल्पकालीन ई–निविदा दिनांक 03.12.2018 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें एवं प्रतिबंध वेबसाइट http://kanpurdehat.nic.in से डाउनलोड कर दिनांक 02.12.2018 तक ऑनलाइन समय 03:00 बजे अपराह्न तक देखा जा सकता है। टेण्डर दिनांक 03.12.2018 को अपराह्न 02:00 बजे तक निविदा समिति के समक्ष कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात में खोले जायेंगे। उक्त दिनांक को निविदा दाता समिति के समक्ष अपने समस्त प्रपत्र/जमानत धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 मूल रूप में कार्यालय में निविदा खोले जाने पूर्व उपस्थित होंगे। निविदा से सम्बन्धित समस्त शर्तें आदि की जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय से भी की जा सकती है। कार्य का विवरण व सम्बन्धित समस्त जानकारी निम्नवत् है:–

क्र. सं.	मद का नाम/मात्राकृत इकाई	लागत (लाख रू में)	धरोहर धनराशि (रू में)	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत मदों/व्यवस्था विवरण	5,00,000/–	25,000/–	100/–	
(i)	भोजन–2500 लोग सब्जी(आलू गोभी), 6 पूरी, अचार, 02 लड्डू				
(ii)	पांडाल– मुख्य मंच– 30×20×4 फुट– 1 अदद सांस्कृतिक मंच– 30×15×5/2 फुट– 1 अदद 6 ब्लाक, प्रति ब्लाक– (45×100) मुख्य गेट– 10×15 फुट 125 जोड़ों के लिए हवन कुण्ड एवं बैठने के लिए गद्दे चादर सहित।				
(iii)	पेयजल/विद्युत प्रकाश/फर्नीचर– पानी के टैंक, मिनरल वाटर, जनरेटर सेट, 200 वी0आई0पी0 कुर्सी, 500 प्लास्टिक कुर्सी				
(iv)	होर्डिंग/वीडियोग्राफी/फूलमाला/साउंड सिस्टम– 125 जोड़ी फूलों की जयमाला माइक, साउण्ड पेटी, हॉर्न, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, बैण्ड				

2. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि निश्चित होने पर सूचित किया जायेगा।
3. उक्त तालिका में दर्शाये गये मदों की लागत में जी0एस0टी0 पृथक से देय नहीं होगी।

4. निविदा की वैद्यता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 60 दिवस होगी एक बार प्रस्तुत की गई निविदा वापस नही ली जा सकती।

5. कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र बिडिंग डाक्यूमेंट वेबसाइट http://kanpurdehat.nic.in पर उपलब्ध है, जो दिनांक 20.11.2018 अपराह्न 12:00 बजे से दिनांक 02.12.2018 मध्याह्न 3:00 बजे तक डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है एवं 03.12.2018 की दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी।

6. प्रत्येक कार्य के लिये निविदा दाता अपने शंका–समाधान हेतु किसी भी कार्य दिवस में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत कानपुर देहात एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात के कार्यालय में संपर्क करें।

7. निविदा मूल्य निविदा सूचना के कॉलम सं0 4 पर धरोहर धनराशि का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं कॉलम सं0 5 पर निविदा प्रपत्र मूल्य का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत कानपुर देहात के पक्ष में देय हो को ऑनलाइन एवं भौतिक रूप में जमा करना अनिवार्य है।

8. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी (first blood relation & there spouse) जैसा कि अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्श दाता के पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

9. किसी भी एक या सभी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

10. निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जैसे अर्हता, कार्य की विशिष्टियां ड्राईंग विभिन्न कार्यों के बिल ऑफ क्वांटिटी जो कार्य किया जाना है, के सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत कानपुर देहात के कार्यालय में कार्य उपर्युक्त अवधि समय 11:00 बजे से 4:00 बजे तक देखी जा सकती है।

11. अपराधिक रिकॉर्ड निविदा आता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

12. कोई भी निविदा दाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा।

13. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 100/– मात्र है। अर्नेस्ट मनी की धनराशि रू0 5,000/– मात्र होगी, जिसे एन0एस0सी0/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है। जमानत धनराशि रू0 25,000/– मात्र निर्धारित है।

14. बिड सबमिशन के उपरान्त प्राप्त एकनोलेजमेंट/फी डिटेल चाट बिड खोले जाने से पूर्व कार्यालय अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत कानपुर देहात में जमा करना अनिवार्य होगा।

15. कार्य के अंतिम भुगतान के उपरान्त निर्धारित प्राविधानों के तहत समुचित कार्यवाही करते हुए जमानत वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

16. निविदा में दर्शायी गयी निर्धारित दरें सभी करों सहित तथा वैवाहिक स्थल तक आपूर्ति सहित है। वैवाहिक स्थल कार्यादेश जारी करने वाली संस्था द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

17. वर्तमान में 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के अन्तर्गत 125 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तथापि वास्तविक आपूर्ति की मात्रा उपलब्ध जोड़ों के आधार पर निर्धारित होगी। यह निविदा जिला स्तर पर सामग्री की मात्र दर निर्धारण हेतु की गयी है। इस निविदा के उपरान्त चयनित आपूर्तिदाता को कार्यादेश आवश्यकतानुसार सम्बन्धित संस्था द्वारा सीधे दिया जायेगा, जिसके सापेक्ष बिल भुगतान भी सम्बन्धित संस्था द्वारा ही किया जायेंगा। विभाग द्वारा चयनित निविदा दाताओं के साथ केवल दर संविदा (rate contract) निष्पादित की जायेगी।

18. अद्योमानक गुणवत्ता के मामले में भुगतान की राशि रोकने अथवा भुगतान में कटौती करने का अधिकार संस्था को होगा।

19. आपूर्ति आदेश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति न करने पर अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर विभाग को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर धनराशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबंध को निरस्त कर फर्म के काली सूची में अंकित कर दें।

20. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा दाता को रू 100.00 नॉन जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के खर्चे पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कानपुर देहात के नाम एक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निविदा के शर्तों के अधीन कार्य सम्पादिन करने की सहमति होगी।

21. निविदा की शर्तों में किसी प्रकार का व्यतिवम अनुमन्य नहीं होगा। व्यतिवम की दशा में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

22. इवेन्ट मैनेजर में रजिस्ट संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, कानपुर देहात।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि–

1– जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात की सेवा में सादर अवलोकनार्थ। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु)

2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर देहात की सेवा में सादर सूचनार्थ। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु)

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित कि अपनी वेबसाइट में संलग्न सी0डी0 प्रकाशित करने का कष्ट करें।

4– जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात की सेवा में सादर सूचनार्थ।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, कानपुर देहात।